जाती है।

25/3/22

आज पत्रावली श्री कम अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर फूल मे नामीनामा हो जाने के आधार पर विद्या करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निर्णय करने पर बेवी मे ली गये

प्रार्थी के निवेदन के आधार पर प्रा॰ पत्र विद्या करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रार्थना पत्र विद्या आधार पर प्रारंभिक स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06/08/21 को भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले मे शामिल होकर मूल पत्र संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested